भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 568

दिनांक 6 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न

डेयरी किसानों की आय

568. श्री एम. के. राघवनः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केरल में उत्पादन और उत्पादन लागत सहित डेयरी के संबंध में वास्तविक आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास देश में डेयरी किसानों की राज्य-वार औसत आय के संबंध में कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) केरल के किसानों को कोई सहायता प्रदान कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यों में राज्य दूध खरीद एजेंसियों को प्रदान की गई निधि का ब्यौरा क्या है और इसके उपयोग की राज्य-वार दर क्या है; और

(ङ) केरल राज्य द्वारा जिन केंद्रीय डेयरी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया गया है उनकी सूची और ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोतम रूपाला)

(क). जी हां। मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान केरल राज्य में अनुमानित दूध उत्पादन 2579.76 हजार टन था और केरल के पशुपालन और डेयरी निदेशालय के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से केरल की समग्र दूध खरीद लगभग 7.39 लाख मीट्रिक है। एमआईएलएमए द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित विशेषज्ञ अध्ययन के अनुसार, प्रति लीटर उत्पादन की औसत लागत निर्वाह फार्म (4 से कम गाय) में 49.05/- रु. आती है, 4 से 10 गायों वाले मध्यम आकार के फार्म 49.33/- रू. की लागत पर दूध का उत्पादन कर सके और 10 से अधिक गायों वाले बड़े आकर के फार्म 46.68/- रू. की लागत पर दूध का उत्पादन कर सके।

(ख). जी नहीं।

(ग). राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) किसानों को कोई प्रत्यक्ष सहायता प्रदान नहीं करता है। तथापि, केरल में डेयरी किसानों के लाभार्थ डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही एनडीडीबी की प्रमुख परियोजनाओं/योजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ). राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) योजना के तहत प्रारंभ से अर्थात् वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 तक (31.01.2024 तक) अनुमोदित, जारी और उपयोग की गई राज्यवार निधियों का विवरण **अनुबंध- II** में दिया गया है।

(ङ). केरल राज्य द्वारा चलाई जा रही डेयरी संबंधी केन्द्रीय योजनाओं की सूची का ब्यौरा **अनुबंध- III** में दिया गया है।

अनुबंध-I

दिनांक 06.02.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित संसद प्रश्न संख्या 568 से संबंधित अनुबंध

केरल में डेयरी किसानों के लाभार्थ डेयरी सहकारिताओं के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही एनडीडीबी की प्रमुख परियोजनाएं/योजनाएं

1. **होनहार उत्पादक स्वामित्व वाले संस्थानों (आरपीओआई) पुनर्जीवन योजना:**
होनहार उत्पादक स्वामित्व वाले संस्थान को उनके समग्र व्यवसाय संचालन को सुदृढ़ करने के लिए सहायता करना, ताकि उनकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके और सभी संबंधितों को लाभान्वित करने वाले आत्मनिर्भर संस्थान का निर्माण किया जा सके, एनडीडीबी होनहार उत्पादक स्वामित्व वाले संस्थानों से संबंधित पुनर्जीवन योजना का कार्यान्वयन कर रही है।

परियोजना के तहत, एर्णाकुलम दुग्ध संघ का एक परियोजना प्रस्ताव 15.25 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना दूध खरीद कार्यकलापों, संस्था निर्माण, जनशक्ति सहायता और प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने में दूध संघ की मदद करेगी।

2. **एनडीडीबी कार्यशील पूंजीगत ऋण योजना:**
एनडीडीबी ने केरल सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ को दूध उत्पादों/कच्चे माल की इन्वेंटरी के रूप में उनकी पूंजी के फंसने की संभावना होने पर वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए 10 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी संस्वीकृत की है।

3. **वैकल्पिक चिकित्सा के माध्यम से रोग नियंत्रण (डीसीएएम):**
एनडीडीबी मालाबार संघ और एर्नाकुलम संघ के 100 गांवों में डीसीएएम का कार्यान्वयन कर रही है। प्रमुख कार्यकलापों में विभिन्न बोवाईन रोगों के उपचार के लिए वैकल्पिक चिकित्सा और एथिनोवेटेरिनरी पद्धतियों का उपयोग शामिल है।

डेयरी किसानों के लिए मलयालम भाषा में विस्तार सामग्री जैसे "अच्छी पशुपालन प्रथाओं पर पुस्तिका", " एथिनोवेटेनरी पुस्तिका और पोस्टर", "काउ कंफर्ट मैनुअल" और "जागरूकता वीडियो" भी विकसित किए गए हैं। यह कार्यकलाप किसानों को आसान और लागत प्रभावी तरीके से सामान्य बोवाइन रोगों को नियंत्रित करने और एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने में मदद कर रहा है।

4. **विपणन सहायता: ब्रांड "मिल्मा" का पुन: प्रारंभ:**
एनडीडीबी ने "मिल्मा" के लिए विपणन दक्षताओं के विकास और उपभोक्ता आधार का विस्तार करने के लिए लगभग 56 लाख रुपये की सहायता प्रदान की है। एनडीडीबी ने एक बाजार मूल्यांकन अध्ययन किया, जिसके आधार पर केसीएमएमएफ ने एनडीडीबी से तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ "मिल्मा" को फिर से प्रारंभ किया।

अनुबंध- II

दिनांक 06.02.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित संसद प्रश्न संख्या 568 से संबंधित अनुबंध

एनपीडीडी योजना (वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24) के तहत अनुमोदित, जारी और उपयोग की गई राज्यवार निधियों का विवरण					
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**अनुमोदित लागत**	**केंद्रीय हिस्सा**	**जारी कुल**	**उपयोग की गई निधि**
1	आंध्र प्रदेश	23504.51	16224.88	6219.20	3311.12
2	अरुणाचल प्रदेश	1191.33	1126.40	883.50	372.31
3	असम	3435.90	3265.49	455.09	82.72
4	बिहार	26322.54	21019.23	20407.09	18181.66
5	छत्तीसगढ़	2338.99	2096.11	1114.36	861.01
6	गोवा	1689.97	1393.45	873.81	178.38
7	गुजरात	55281.98	33751.82	20703.85	10576.94
8	हरियाणा	2523.99	2132.74	1932.08	1332.74
9	हिमाचल प्रदेश	5716.04	5238.54	4357.55	3571.37
10	जम्मू और कश्मीर	15111.51	13980.77	12157.42	11549.70
11	झारखंड	3153.80	2502.40	1254.69	976.44
12	कर्नाटक	40839.44	28172.38	18390.95	13591.37
13	केरल	18182.32	13411.21	12295.51	11281.73
14	मध्य प्रदेश	7129.04	5935.82	5469.99	5370.74
15	महाराष्ट्र	5177.21	4645.99	3884.44	3601.55
16	मणिपुर	3029.04	2784.90	2340.90	1639.86
17	मेघालय	6393.68	5780.48	4768.76	4394.68
18	मिजोरम	1100.64	1031.13	1031.13	1031.13
19	नागालैंड	1306.44	1214.61	1214.61	1019.90
20	ओडिशा	6259.66	5533.40	4824.10	4345.72
21	पुडुचेरी	437.78	421.18	347.12	313.55
22	पंजाब	25120.95	16719.20	12532.16	11679.68
23	राजस्थान	29214.92	21471.51	18525.42	15977.54
24	सिक्किम	5372.45	4962.21	4245.25	3984.36
25	तमिलनाडु	25922.50	18210.30	13642.40	12024.19
26	तेलंगाना	8916.24	6967.31	3770.88	2968.69
27	त्रिपुरा	2292.10	2025.87	1723.73	1557.95
28	उत्तर प्रदेश	8183.83	6842.73	4507.68	751.91
29	उत्तराखंड	7504.26	6411.69	4781.83	4102.94
30	पश्चिम बंगाल	403.47	393.47	363.16	356.37
	सकल योग	**343056.52**	**255667.21**	**189018.63**	**150988.26**

अनुबंध- III

दिनांक 06.02.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित संसद प्रश्न संख्या 568 से संबंधित अनुबंध है

केरल राज्य द्वारा डेयरी पर चलाई जा रही डेयरी संबंधी केन्द्रीय योजनाओं की सूची का विवरण नीचे दिया गया है -

I. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी):

पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) फरवरी-2014 से देश भर में "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)" योजना लागू कर रहा है। योजना को निम्नलिखित दो घटकों के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए जुलाई 2021 में पुनर्गठित/पुनर्संरेखित किया गया है:

घटक क:

(i) एनपीडीडी का यह घटक राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/एसएचजी/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं के साथ-साथ गुणवत्ता वाले दुग्ध परीक्षण उपकरणों के लिए अवसंरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केन्द्रित करता है।

(ii) एनपीडीडी स्कीम के घटक ख "सहकारिताओं के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार में किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना का उन्नयन करके तथा उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दुग्ध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना है।

(iii) एनपीडीडी योजना के तहत, केरल में 13411.21 लाख रुपये के केंद्रीय हिस्से के साथ 18182.32 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 14 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है। अब तक 12295.51 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

घटक ख:

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) का सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी (डीटीसी) घटक ख डेयरी वर्ष 2021-22 में 1568.28 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रारंभ किया गया था। इसमें योजना के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित घटकों के लिए लाभार्थियों को ऋण और/या अनुदान का प्रावधान है।

उद्देश्य: दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाना, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना का उन्नयन करना और उत्पादक स्वामित्व वाले संस्थानों की क्षमता बढ़ाना।

योजना की अवधि: वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26

योजना का भौगोलिक कवरेज: बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड

योजना लाभार्थी: डेयरी कार्यकलाप में लगे उत्पादक उन्मुख संस्थान(पीओआई) जैसे राज्य डेयरी परिसंघ, जिला/तालुका दुग्ध संघ, दूध उत्पादक कंपनियां और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत गठित क्लस्टर स्तर के परिसंघ

योजना के घटक: दूध खरीद अवसंरचना को सुदृढ़ करना, दूध प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़ करना, विपणन अवसंरचना को मजबूत करना, आईसीटी अवसंरचना के लिए सहायता, पोषण हस्तक्षेपों, परियोजना प्रबंधन और सीखने, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से उत्पादकता वृद्धि।

II. एनडीडीबी केरल में डेयरी विकास के लिए केंद्र सरकार की निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:

1. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम):** इस योजना के तहत, एनडीडीबी केरल में निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत केरल राज्य के किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है:

- **नस्ल वृद्धि फार्म (बीएमएफ):** इस परियोजना के अन्तर्गत 200 पशुओं के फार्म की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों को 50 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान (अधिकतम 2 करोड़ रूपये तक) प्रदान किया जा रहा है। अब तक, केरल में 3 आवेदन संस्वीकृत किए गए हैं और बीएमएफ परियोजना के तहत 50 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की गई है।
- **सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम (एबीआईपी एसएस):** इस परियोजना को 90% सटीकता के साथ देशी नस्लों सहित गोपशु और भैंस की विभिन्न नस्लों की अधिक संख्या में बछड़ियों के उत्पादन के लिए वीर्य के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संस्वीकृत किया गया था। इस परियोजना के तहत प्रति लेक्टेशन अधिकतम 2 एआई के लिए 675 प्रति एआई की दर से यौन वीर्य के साथ एआई किया जाता है, जिसमें सरकार द्वारा किसानों को प्रति लेक्टेशन अधिकतम 2 एआई के लिए 425 रुपए की दर पर सब्सिडी दी जाती हैं।
  केरल में, एबीआईपी सेक्स सॉर्टेड परियोजना को परियोजना के अंत तक 3 लाख गर्भाधारण के लक्ष्य के साथ संस्वीकृति दी गई है। ईओपी परिव्यय 4208.24 लाख रुपये है और इसे केएलडीबी द्वारा चलाया जा रहा है।

उपर्युक्त के अलावा, आरजीएम के तहत केरल में गोपशु और भैंसों के आनुवंशिक सुधार के उद्देश्य से निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

- **संतति परीक्षण परियोजना:** आरजीएम के अंतर्गत 2233 लाख रुपए के कुल परिव्यय से केरल पशुधन विकास बोर्ड (केएलडीबी) को वर्णसंकर एचएफ (सीबीएचएफ) नस्ल के लिए संतति परीक्षण परियोजना संस्वीकृत की गई है।
- **वीर्य उत्पादन के लिए सहायता:** आरजीएम के तहत 2804 लाख रु. के कुल परिव्यय के साथ 3 मौजूदा वीर्य स्टेशनों अर्थात् धोनी, मट्टुपट्टी और कुल्थूपुझा वीर्य स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण अनुमोदित किया गया है। कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और प्रगति पर है।

2. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)

यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेयरी सहकारिताएं किसानों के निरंतर लाभ के लिए प्रतिस्पर्धी बनी रहें, भारत सरकार ने 11,184 करोड़ रुपये के कुल योजना परिव्यय के साथ डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) के सृजन की घोषणा की है। इस योजना के तहत, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण के लिए 8004 करोड़ रुपये का एक निधि स्थापित की गयी है।

- दिनांक 31 दिसंबर 2023 तक, डीआईडीएफ योजना के तहत केरल राज्य में अंतिम उधारकर्ता को संस्वीकृत परियोजना और जारी किए गए ऋण का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

संख्या	अंतिम उधारकर्ता	परियोजना विवरण	अनुमोदित परियोजना परिव्यय	संस्वीकृत ऋण	ईबी का मार्जिन	31 दिसंबर 2023 तक जारी ऋण
1	एर्नाकुलम दूध संघ	कोच्चि, केरल में प्रोडक्ट्स डेयरी, एडापल्ली का सुदृढ़ीकरण और त्रिपुनिथुरा डेयरी, एर्नाकुलम में 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना	15.25	12.20	3.05	5.42
कुल			**15.25**	**12.20**	**3.05**	**5.42**

- **कार्यान्वयन की स्थिति:** एर्णाकुलम दुग्ध संघ की परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है।

3. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन:

- चारे की कमी को दूर करने और केरल राज्य में हरे और सूखे चारे की एक संगठित आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए, एनडीडीबी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू) के सहयोग से केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'चारा प्लस किसान उत्पादक संगठन' योजना कार्यान्वित कर रह है। नौ चारा प्लस एफपीओ का गठन दो क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ), नामत: सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन (सीआईएसएसए) और केरल पशुधन विकास बोर्ड (केएलडीबी) के माध्यम से किया गया है। इन एफपीओ ने किसान जुटाने, हरे चारे के उत्पादन के लिए किसानों के बीच बीज वितरण, हरे चारे, साइलेज आदि के उत्पादन के लिए डेयरी किसानों के प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग जैसी फील्ड कार्यकलाप शुरू किए हैं। अब तक, इन सीबीबीओ को कुल 22.5 लाख रुपये संवितरित किए गए हैं, और योजना के तहत चार एफपीओ को 12 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
- इस योजना के तहत**,** केरल में दो मधुमक्खी पालन के एफपीओ का भी गठन किया गया है।

*****